न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

अपीलीय अधिकारी : डॉ. सौम्या झा (आई०ए०एस०)
अपील संख्या0 APS2012V070426858653 /27/2026

रविकान्त भारती, निवासी 279 जयसिंह नेता की ढाणी, ग्राम बडोली, तहसील कुण्डल जिला दौसा। ..अपी0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, दौसा।

रेस्पो०

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 07.04.2026 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) दौसा।

निर्णय

दिनांक 30.04.2026

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अपना नाम विधानसभा क्षेत्र दौसा के कुण्डल ग्राम की मतदाता सूची मे जोडने संबंधी आवेदन पत्र (Ref. no.S2008806N2203261200002) प्रस्तुत किया गया था। जिसको निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) दौसा द्वारा नाम जोडने का आवेदन प्रारूप 6 को अस्वीकार कर दिया गया। अपीलांट द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) दौसा के उक्त आदेश दिनाक 07.04.2026 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा निर्णय की दिनांक से 15 दिवस के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील न्यायालय में पेश की गई है।

उक्त अपील के संबंध में तथ्यों से संबंधित वस्तुस्थिति की रिपोर्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) दौसा से इस न्यायालय के पत्रांक 1202 दिनांक 15.04.2026 चाही गयी हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) दौसा के पत्रांक 14 दिनांक 20.04.2026 के द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट में आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं थे एवं आवश्यक जानकारी एवं तथ्य अपूर्ण पाये जाने के कारण ईआरओ द्वारा अस्वीकार किया गया।

उक्त अपील के संबंध में इस न्यायालय के पत्रांक 1418 दिनांक 28.04.2026 द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2026 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। सुनवाई दिवस पर अपीलान्ट द्वारा अपील के पक्ष में निवास संबंधी प्रमाण में अपना मूल निवास प्रमाण–पत्र (क्रमांक 1443 दिनांक 12.06.2015) एवं अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण–पत्र (क्रमांक:RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछडा वर्ग/

जिला कलेक्टर, दौसा

25701123306 दिनांक 04.09.2025) प्रस्तुत किया जिसमें अपीलान्ट का निवास ग्राम बडौली दौसा अंकित हैं। साथ ही अपीलान्ट द्वारा नाम जोडने संबंधी आवेदन प्रारूप 6 के साथ संलग्न स्वयं का आधार कार्ड (संख्या 2598 8755 5113) जिसमें जन्म दिनांक 03.01.1997 अंकित हैं एवं परिवार का जनआधार कार्ड (पहचान संख्या 4815482558) प्रस्तुत किया हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 19 में निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने की शर्तेः–

Conditions of registration.--Subject to the foregoing provisions of this Part, every person who — (a) is not less than 3[eighteen years] of age on the qualifying date, and
(b) is ordinarily resident in a constituency, shall be entitled to be registered in the electoral roll for that constituency.

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की उम्र 18 वर्ष से अधिक हैं तथा संलग्न दस्तावेजों के आधार पर निवास प्रमाणित हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलांट का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत किये जाने हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र दौसा (एसडीएम) दौसा को आदेशित किया जाता हैं। अधीनस्थ कार्यालय को निर्णय की प्रति भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 अप्रैल, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official